IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, वृन्दावन वृत्त,

भूतल हॉल सं0-2 ऑफिस काम्प्लेक्स, वृन्दावन योजना, लखनऊ
E-mail: circlevrinda@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र सं0– 367 / M-13 / 46 दिनांक 07-2-26

ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत ठेकैदारों से ई–निविदाएं एकल/टू–बिड पद्धति पर दिनांक 28.2.2026 को 3:00 बजे तक **https://etender.up.nic.in** पर आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी तकनीकी बिड्स दिनांक 28.2.2026 को अपरान्ह 3:30 बजे सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	संबंधित खण्ड का नाम
1.	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु वृन्दावन योजना संख्या–3 व 4 में उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु डोर–टू–डोर कलेक्शन, ट्रान्सपोर्ट एवं प्रोसेसिंग का कार्य।	29.50	0.59	1500.00 + 18% G.S.T.	(एकल बिड) 12 माह	अधि0 अभि0 निर्माण खण्ड लखनऊ–04
2.	Operation & maintenance of 37.50 MLD STP based on Sequential Batch Reactor (SBR) Technology, at Sector-10B Vrindavan Yojna No.-2, Lucknow.	बी0ओ0क्यू के अनुसार	2.00	4500.00+ 18% GST	(टू बिड) 12 माह	अधि0 अभि0 निर्माण खण्ड लखनऊ–05
3.	अवस्थापना निधि के अन्तर्गत लखनऊ नगर क्षेत्र के तिरूपति ग्रीन सिटी फेस–2, सदाबहार कालोनी के पीछे, मुबारकपुर आई0आई0एम0 रोड, मेन रोड से श्री अरूण कुमार यादव के घर होते हुए श्री उपाध्याय के घर तक इण्टरलांकिग रोड व नाली निर्माण कार्य।	56.86	1.14	3000.00 + GST (18%)	(टू–बिड) 06 माह	
4.	वृन्दावन योजना संख्या–4 लखनऊ के सेक्टर–13 में 01 नग पार्क का निर्माण कार्य।	13.60	0.28	1000.00 + GST (18%)	(एकल बिड) 02 माह	

ई–निविदा आमन्त्रण सूचना प्रकाशन की तिथि	दिनांक 08.02.2026
निविदा/प्रपत्र अपलोड करने की तिथि	दिनांक 10.02.2026
निविदा/प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक 10.02.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे से दिनांक 28.02.26 अपरान्ह 03:00 बजे तक
बिड अपलोड करने की तिथि एवं समय	दिनांक [illegible]2.2026 को अपरान्ह 3:00 बजे से दिनांक 28.02.2026 अपरान्ह 03:00 बजे तक
तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	दिनांक 28.02.2026 अपरान्ह 3:30 बजे
वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय	तकनीकी बिड के परीक्षणोंपरान्त बेवसाइट **https://etender.up.nic.in** पर सूचित की जाएगी।

निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग–अलग RTGS/NEFT/ONLINE के माध्यम से निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व निर्धारित खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वॉछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है–

क्रमांक–1 के कार्य हेतु (निर्माण खण्ड लखनऊ–04)

Name of A/C Holder - EX.ENG.CD.Lko-04,U.P.A.V.P. VRINDAVAN YOJNA LUCKNOW
A/C No. - 681510110001374
IFSC Code No. BKID0006815
Name of Bank- Bank of India, Subhani Khera, Lucknow.

क्रमांक–2, 3 व 4 के कार्य हेतु (निर्माण खण्ड लखनऊ–05)

Name of A/C Holder - EX.ENG.CD.Lko-05, U.P.A.V.P. VRINDAVAN YOJNA LUCKNOW
A/C No. 595702010002965
IFSC Code No. UBIN0559571
Name of Bank- Union Bank Of India, Ashiyana Branch, Lucknow

नियम व शर्तें

1– निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित RTGS/NEFT के यू0टी0आर0 के नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना आवश्यक होगा।

2– निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट https://upavp.in के निविदा लिंक पर तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन की वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इस निविदा सूचना में अंकित कार्यो के संबंध में संशोधन इत्यादि से संबंधित विवरण/सूचना का प्रकाशन परिषद की वेबसाइट https://upavp.in एवं ई–निविदा वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर किया जायेगा। इच्छुक ठेकेदार/निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वह समय–समय पर इन वेबसाइट से सूचना प्राप्त कर लें।

3– परिषद में उपर्युक्त कार्य (क्रम सं0 2 के कार्य को छोड़ कर) हेतु निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी निविदादाताओं की ही निविदायें न्य होंगी तथा अन्य निविदादाताओं की निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

4– निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की मात्रा एवं मदों में परिवर्तन किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नही होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मो से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें, बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य नही होगा।

क्रमशः–2

5– निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रू0 10/– के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।

6– निविदादातओं/फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक बनाकर जमा करनी होगी।

7– अनुबन्ध गठन की प्रकिया या उसके उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा। ई–निविदादाता/फर्म द्वारा वैध T–6 अपलोड करना होगा।

8– निविदादाता/फर्म द्वारा बिड में दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नही किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुये दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुये उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

9– निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0, आयकर एवं श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

10– बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं। जी0एस0टी0 का नियमानुसार भुगतान फर्म द्वारा इनवॉइस प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

11– यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

12– कार्य करते समय जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात हेतु साइन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा जिस हेतु सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं यातायात डाइवर्जन हेतु आने वाले व्यय को ई–निविदादाता द्वारा स्वयं वहन करने हेतु शपथ पत्र ई–निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

13– कार्य हेतु ई–निविदादाता/फर्मो को कार्य होने से पूर्व, कार्य कराते समय एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त फोटोग्राफी/विडियोग्राफी ई–निविदादाता द्वारा अपने व्यय पर कराकर विभाग को उपलब्ध कराने का शपथ पत्र ई–निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

14– फर्म द्वारा कार्य समाप्ति उपरान्त नियमानुसार जमा जमानत धनराशि 01 वर्ष उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

15– समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/MoRTH & CPWD/उ0प्र0 जल निगम/भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आई0एस0 कोड/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।

16– उक्त कार्यो के लिए निविदा प्रपत्र हेतु निविदादाता को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डी0एस0सी0) किसी प्रमाणित/प्राधिकृत संस्था द्वारा निर्गत किया होना आवश्यक है।

17– जी0पी0डब्लू0–9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा। अन्य नियम व शर्ते निविदा प्रपत्र के अनुरूप होगी। निविदा प्रपत्र में वांछित समस्त शपथ पत्रों को अपलोड करने पर ही ई–निविदा मान्य होगी।

18– उक्त कार्य हेतु ठेकेदार/फर्म को प्रत्येक बीजक के साथ उपभोग की गई सामग्री की समान मात्रा में रायल्टी प्रपत्र (MM-11) प्रस्तुत करना होगा जांच के दौरान अवैध/फोटोप्रति पाये जाने पर नियमानुसार कटौती कर धनराशि राज्य सरकार के खाते में जमा की जायेगी।

19– कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की साप्ताहिक प्रगति निर्धारित साप्ताहिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक सप्ताह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले सप्ताह के अन्त तक निर्धारित क्म्युलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य न होगा। ई निविदादाता/फर्म द्वारा मदवार बार चार्ट शपथ पथ सहित अपलोड कराना होगा।

20– शासनादेश संख्या 622/2372–12–2012–2 ऑडिट/08टी0सी0–2 लोक निर्माण विभाग–12 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 की दरों से Below दर देने पर ठेकदार द्वारा अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेन्स धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी–

(क) 10% Below तक दर पर 0.50% प्रति 1.00% कम (Below)दर पर।

(ख) 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below)दर पर।

21– मुख्य अभियन्ता (म0) के पत्रांक 4196/निविदा/18 दिनांक 14.09.2018 एवं 3451/निविदा/2023 दिनांक 20.10.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बिलों (Below)दर निविदा के मामले में वॉछित परफारमेन्स गारन्टी की धनराशि एल–1 निविदादाता द्वारा जमा किये जाने के पश्चात् ही स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त करते हुये कार्यवाही की जायेगी।

22– ई–निविदादाता द्वारा दी गयी दरों की वैधता 03 माह होगी। उक्त हेतु निर्धारित प्रारूप पर Revenue Stamp सहित शपथ पत्र ई–निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

23– उक्त कार्य हेतु यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरण किल्यरेन्स (नगर निगम से) आदि ई–निविदादाता/फर्म द्वारा अपने व्यय पर प्राप्त किया जाएगा जिस हेतु शपथ पत्र ई–निविदा में अपलोड करने पर ई–निविदा मान्य की जाएगी।

24– उक्त कार्यो हेतु ई–निविदादाता/फर्मो को कार्य कराते समय वर्तमान में उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं (जलापूर्ति/ सीवर/विद्युत आपूर्ति) के क्षतिग्रस्त होने पर अपने व्यय पर मरम्मत कराने का शपथ पत्र ई–निविदा में अपलोड़ करना अनिवार्य होगा।

25– उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड–19 अथवा अन्य किसी भी प्रकार के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का शत्प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

26– उक्त कार्य परिषद योजना/नगर निगम क्षेत्र में कराये जाने है। किसी भी स्थल विवाद की स्थिति में निविदादाता द्वारा जिला प्रशासन से सम्पर्क कर परिषद का सहयोग प्राप्त करके विवाद का निस्तारण कराते हुए समयान्तर्गत कार्य कराये जाने का शपथ–पत्र निविदा में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

27– एन0जी0टी0 सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

28– जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण–पत्र ई–निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

29– ब्राण्डेड सूची में निर्माण सामग्रियों के एक से अधिक ब्राण्ड होने पर उनमें से प्रयोग हेतु बाण्ड का चयन प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के आधार पर परिषद की ओर से अनुबंधकर्ता द्वारा किया जायेगा।

30– वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निविदादाता द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व एन0जी0जी0 की निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा, जिस हेतु शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

31– फिनिशिंग, फर्नीशिंग आदि मदों में परिषद की ब्राण्डेड मटैरियल सूची में कई मेक उपलब्ध होने की दशा में उनमें से प्रयोग हेतु मेक का चयन अनुबन्धकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

क्रमशः–3

32– उक्त सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता जॉच उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य संस्थान से कराये जाने की स्थिति में जॉच पर आने वाला व्यय, सम्बन्धित निविदादाता फर्म के चालू बीजक से किया जायेगा, जिस हेतु शपथ पत्र अपलोड करना होगा।

33– फर्म को Bid Document के अनुसार कार्य का अनुभव अनिवार्य है।

34– **क्रम सं0–1 पर अंकित कार्य हेतु अतिरिक्त शर्ते–**

34.1– समस्त कार्य/संचालन सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स–2016 (यथासंशोधित) के अनुसार एवं गुणवत्तायुक्त करना आवश्यक होगा।

34.2– घरों से संग्रहीत कूडे को निर्धारित स्थानान्तरित स्थलों पर तथा निर्धारित स्थानान्तरण स्थलों से प्रोसेसिंग प्लान्ट तक कूड़ा ले जाने का दायित्व निविदादाता का होगा।

34.3– जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा कम से कम निर्गत रू0 10.00 लाख की हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

34.4– समस्त यंत्र संयत्र एवं प्रोसेसिंग प्लान्ट के अधिष्ठापन का कार्य फर्म द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा

34.5– परिषद के क्षेत्र से एकत्र ठोस अपशिष्ट को फर्म द्वारा स्वयं के पूर्व अधिष्ठापित एवं कार्यरत प्रोसेसिंग प्लान्ट पर ले जाकर प्रोसेसिंग करना अनुमन्य होगा अथवा कार्यरत प्रोसिसिंग प्लान्ट से फर्म के अनुबन्ध सम्बन्धी प्रपत्र उपलब्ध कराने होंगे।

34.6– अधिष्ठापित प्रोसेसिंग प्लान्ट का स्थल, क्षमता एवं प्लांट संचालित है, का प्रमाण–पत्र/शपथ पत्र ई–निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

34.7– कार्य हेतु वांछित समस्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र फर्म द्वारा स्वयं प्राप्त करने होंगे, जिस हेतु शपथ पत्र ई–निविदा में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

34.8– न्यूनतम टिपिंग फीस के आधार पर निविदादाता का चयन किया जायेगा।

34.9– स्थलों का निरीक्षण निविदादाता को निविदा देने के पूर्व करना होगा, बाद में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

34.10– डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्र करने के कार्य हेतु समस्त व्यय प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित है, जिस हेतु परिषद द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

35– **क्रम सं0–2 पर अंकित कार्य हेतु अतिरिक्त शर्ते–**

35.1– ई–निविदा हेतु प्री–बिड मीटिंग हेतु तिथि 19.02.2026 को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ–05, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ में प्रातः 11:30 बजे निर्धारित है।

35.2– उक्त कार्य हेतु ई–निविदादाता/फर्म को परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है।

36– निविदा प्रपत्र हेतु निविदादाता को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डी0एस0सी0) किसी प्रमाणित/प्राधिकृत संस्था द्वारा निर्गत किया होना आवश्यक है।

37– उपरोक्त निविदा सूचना में यदि कोई संशोधन किया जाता है तो संशोधित निविदा सूचना सीधे वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर ही अपलोड की जाएगी। संशोधित निविदा सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में नहीं किया जाएगा।

38– किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग में निहित है।

39– Form GPW-9 अनुबंध का भाग होगा।

40– शेष समस्त नियम एवं शर्तो निविदा प्रपत्र में देखी जा सकती है।

41– सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

07/2/26
(प्रमोद कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 367 / 39-C / 46 दिनांक– 07-2-26

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0. आवास एवं विकास परिषद,104 महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ।

2– अधीक्षण अभियन्ता–अवध विहार/लखनऊ/अयोध्या/बागपत/बुंदेलखण्ड/गाजियाबाद वृत्त/गोरखपुर/वाराणसी/कानपुर/मेरठ/प्रयागराज/रूहेलखण्ड/विद्युत वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

3– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ–1/2/4/5, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

4– इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को निविदा सूचना परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

5– सहायक अभियन्ता (तक0), वृन्दावन वृत्त, लखनऊ।

6– नोटिस बोर्ड।

07/2/26
अधीक्षण अभियन्ता

मैसेज बोर्ड से प्रेषित